

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.2024/AC-I/6/1

RBA No. 14/2025  
New Delhi, dated: 22.04.2025

The General Managers,  
All Indian Railways & PUs etc.

**Sub:- ACS No. 14 of Indian Railway Finance Code, Volume-II- Re-designation of Primary Unit for accountal of expenditure on outsourcing of Manpower/activities for Track Maintenance and Signal maintenance.**

\*\*\*\*\*

Vide Advanced Correction Slip (ACS) No. 08 (RBA 20/2024) followed by ACS No. 10 (RBA 23/2024), a New Primary Unit, namely, "**PU-49 - Outsourcing of Manpower/activities for track maintenance**" has been introduced in Classification of Accounts of Expenditure and Revenue governed by the guidelines given in IRFC Volume-II (Second Revised Edition 2022) Appendices, to facilitate separate budgeting and accountal of expenditure incurred for Outsourcing of Manpower for Track Maintenance activities under Primary Units (Objects) of Expenditure (Revenue) in terms of Board's letter No. 2019/CE-I/GNS/4 dated 28.06.2024.

In order to provide similar provisioning for Signalling directorate for outsourcing of manpower/activity, the PU-49 is re-designated as "Outsourcing of manpower/activity for Track maintenance **and Signal maintenance**" for catering to the specific requirement of track and signal maintenance as highlighted by concerned directorates, vide ACS No. 14.

Contents of the corrigendum issued vide ACS No. 14 may please be circulated suitably for information and compliance.

Please acknowledge the receipt.

DA: As above

  
(Megha Agrawal)  
Director Accounts  
Railway Board

No.2024/AC-I/6/1

New Delhi, dated: 22.04.2025

Copy to:

- i) Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
- ii) PFAs, Indian Railways.
- iii) AC-II, AC-III, AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.
- iv) RBCC for uploading in Accounts Compendium-2025
- v) OSD/MR/OSD/Coord to MR, Additional PS/MR

Advance Correction Slip No. 14

INDIAN RAILWAY FINANCIAL CODE VOLUME-II

(Second Revised Edition 2022)

Classification of Accounts of Expenditure and Revenue (Appendices)

Classification of Revenue Expenditure (Appendix-I)

Description of PU-49 - Outsourcing of Manpower/activities for track maintenance shall be read as under:

"PU No. 49 – Outsourcing of manpower/activity for track maintenance and Signal maintenance"

(Authority: Board's letter no. 2024/AC-I/6/1 dated 22.04.2025)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 14/2025

सं. 2024/एसी-1/6/1

नई दिल्ली, दिनांक: 22.04.2025

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता, जिल्द-11 की शुद्धि पर्ची संख्या 14 - रेलपथ अनुरक्षण और सिगनल अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेने पर होने वाले व्यय के लेखे-जोखे के लिए प्राथमिक इकाई को पुनः पदनामित करना।

\*\*\*\*\*


अग्रिम शुद्धि पर्ची (एसीएस) सं.-08 (आरबीए 20/2024) के तहत और उसके बाद अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-10 (आरबीए 23/2024) के अनुसरण में, एक नई प्राथमिक इकाई अर्थात् "पीयू-49 - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेना" को भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-11 (द्वितीय संशोधित संस्करण 2022) परिशिष्टों में दिए गए दिशा-निर्देशों द्वारा शासित व्यय और राजस्व के खातों के वर्गीकरण में प्रस्तुत किया गया है ताकि बोर्ड के दिनांक 28.06.2024 के पत्र सं. 2019/सीई-1/जीएनएस/4 के अनुसरण में व्यय (राजस्व) की प्राथमिक इकाइयों (उद्देश्यों) के तहत रेलपथ अनुरक्षण गतिविधियों के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेने के लिए किए गए व्यय का अलग बजट और लेखा-जोखा तैयार करने में सुविधा हो।

जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेने हेतु सिगनल निदेशालय के लिए समान प्रावधान मुहैया कराने हेतु, प्राथमिक इकाई-49 को "रेलपथ अनुरक्षण और सिगनल अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेना" के रूप में पुनः पदनामित किया गया है ताकि अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 14 के अनुसार संबंधित निदेशालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए रेलपथ और सिगनल अनुरक्षण की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 14 के तहत जारी शुद्धिपत्र की विषय-वस्तु को सूचना और अनुपालन के लिए उपयुक्त रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

  
(मेधा अग्रवाल)  
निदेशक, लेखा  
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक: 22.04.2025

सं. 2024/एसी-1/6/1

प्रतिलिपि प्रेषित:

- i. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
- ii. प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।
- iii. लेखा-II, लेखा-III, लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।
- iv. लेखा सार-संग्रह-2025 में अपलोड करने के लिए आरबीसीसी।
- v. विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, रेल मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 14

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II  
(द्वितीय संशोधित संस्करण 2022)

खर्च और राजस्व का लेखा-वर्गीकरण (परिशिष्टियां)  
राजस्व खर्च का वर्गीकरण (परिशिष्ट -I)

प्राथमिक इकाई-49 का विवरण - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेना  
को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“प्राथमिक इकाई 49 -रेलपथ अनुरक्षण और सिगनल अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधि को ठेके  
पर लेना”

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 22.04.2025 का पत्र सं. 2024/एसी-I/6/1)

\*\*\*\*\*